



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर

क्रमांक: एफ1 (7)(04066)डीपीसी / सान्याअवि / 2025 /

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरित

:: संशोधित वरीयता ::

विभागीय राजकाज रैन. 19961949 दिनांक 21.01.2026 द्वारा दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के वरिष्ठ सहायक पद की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है।

वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2023-24 में डेफर प्रकरणों पर विचारण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.02.2026 द्वारा अभिलेख पूर्ति उपरान्त श्री इन्द्राज, श्री इन्द्रपाल टाक को वरिष्ठ सहायक पद पर तत्समय की पदोन्नति चयन रिक्ति दिनांक 01.04.2018 एवं श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को वरिष्ठ सहायक पद पर तत्समय की पदोन्नति चयन रिक्ति दिनांक 01.04.2023 से की गई पदोन्नति अभिशंषा के अनुरूप पदोन्नति आदेश राजकाज रैफरेन्स नम्बर 20561252 दिनांक 17.02.2026 द्वारा जारी किये गये।

अतः वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 01.04.2025 में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री इन्द्राज वर्ग एससी जन्म दिनांक 31.12.1969 चयन वर्ष / दिनांक 01.04.2018 का नाम क्र.स. 2 श्री हेमन्त शर्मा के नीचे एवं क्र.स. 03 श्री उदय सिंह के ऊपर एवं श्री इन्द्रपाल टाक वर्ग अनारक्षित जन्मदिनांक 19.06.1993 चयन वर्ष / दिनांक 01.04.2018 का नाम क्र.स. 03 पर श्री उदयसिंह के नीचे एवं क्र.स. 4 पर श्री चुतराराम के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाता है, श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा वर्ग एससी जन्म दिनांक 11.06.1994 (दिव्यांग) का नाम क्र.स. 69 श्री भागीरथ चारण के नीचे एवं क्र.स. 70 श्री बजरंग सिंह सीला के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाता है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अतिरिक्त निदेशक (सत.एवं प्रशा.)

क्रमांक: एफ1 (7)(04066)डीपीसी / सान्याअवि / 2025 /

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-7) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत.एवं प्रशा.), सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी / अधीक्षक, सान्याअवि / बाअवि
6. संयुक्त निदेशक, (आई.टी.) मुख्यावास को विभागीय बेवसाईट (Sje.Rajasthan.gov.in) पर संधारित किये जाने हेतु।
7. समस्त संबंधित कार्मिक सान्याअवि.....।
8. निजी पत्रावली श्री / श्रीमती
9. प्रभारी संस्थापन प्रशाखा पी-3, मुख्यावास।
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (सत.एवं प्रशा.)

RajKaj Ref No.:
20670314

M e-Sign

